अमर उजाला

आगरा में मेडिकल स्टोर का छापा: ताला तोड़कर टिंचर की 245 पेटियां बरामद, झारखंड से होती थी आपूर्ति

न्यूज डेस्क अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 05 Aug 2021 10:31 AM IST

सार

आबकारी और औषधि विभाग के छापे के बाद भी टिंचर-जिंजर की अवैध बिक्री हो रही थी। इस पर मेडिकल स्टोर पर फिर छापा मारा गया। इस दौरान टिंचर की 245 पेटियां बरामद हुईं।



पेटियां में रखीं टिंचर की शीशियां - फोटो : अमर उजाल

विस्तार

आगरा में आबकारी और औषधि प्रशासन की टीम ने बुधवार को खंदारी के गणेश टावर में भगवती मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर 245 पेटी अवैध टिंचर बरामद की है। स्टोर संचालक संजीव दीक्षित और सपना दीक्षित के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एक पेटी में 100 मिली लीटर की 100 शीशियां हैं। करीब 25 हजार शीशियां बरामद की गई हैं।

आबकारी विभाग ने सोमवार को फ्रीगंज में एक दुकान पर छापा मारा था। दुकान बंद मिलने पर नोटिस चस्पा किया। बुधवार सुबह जब टीम पहुंची, तो नोटिस फटा मिला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनसे पता चला कि एक ऑटो से दुकान खोलकर पेटियां निकाली गई हैं। पेटियों की निशानदेही पर आबकारी टीम खंदारी स्थित गणेश टावर में भगवती मेडिकल स्टोर पर पहुंची। मेडिकल स्टोर का ताला लगा मिला।

औषधि निरीक्षक, क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो अंदर टिंचर की शीशियों से भरी 245 पेटियां मिली हैं। जिला आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि संचालक सपना दीक्षित और संजीव दीक्षित फरार हैं। आरोपितों के विरुद्ध थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है।

झारखंड से होती है आपूर्ति

आबकारी अधिकारी नीरेश पालिया ने बताया कि टिंचर में 80 फीसदी स्प्रिट होता है। जिसका इस्तेमाल देशी शराब में मिलावट के लिए भी किया जाता है। मेडिकल स्टोर से बरामद टिंचर की आपूर्ति आगरा में झारखंड से होती है।

आपूर्ति करने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी की तलाश है। एक शीशी पर 15 रुपये रेट है। जबकि इसे 40 रुपये में बेचा जाता था। टिंचर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नशाखोरी के लिए हो रहा है। आगरा में इससे पहले घटिया आजम खां पर 17 पेटियां पकड़ी गई थी। जिसमें एक व्यक्ति जेल में बंद हैं।

छापे के बाद भी हो रही अवैध बिक्री

आबकारी और औषधि विभाग के छापे के बाद भी टिंचर-जिंजर की अवैध बिक्री हो रही है। नशे के आदी लोग टिंचर-जिंजर खरीद रहे हैं। यह कार्टन और शटर बंद कर दुकानों से बेचा जा रहा है। सुबह और देर शाम सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। खासतौर से यमुनापार, शाहगंज, बोदला, लोहामंडी, दहतौरा, जगदीशपुरा क्षेत्र में इनकी बिक्री अधिक है।

आबकारी निरीक्षक विजय आनंद ने बताया कि टिंचर की अवैध बिक्री पर एक टिंचर माफिया को जेल भेजा है। मेडिकल स्टोर भी सील किए हैं। अभी और चिह्नित किए हैं, उन पर भी छापा मारेंगे। औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि टिंचर की अवैध बिक्री पर नौ मेडिकल स्टोर सील कर दिए हैं। अभी जांच अभियान जारी है। इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है।

15 रुपये की कीमत, 50 रुपये में बिक्री

औषधि निरीक्षक नरेश मोहन दीपक ने बताया कि छापे के वक्त जानकारी मिली कि 15 रुपये की कीमत की टिंचर जिंजर की 100 एमएल की शीशी की बिक्री करते पकड़ा था। इसे वह 50 रुपये में बेचता है। इतना ही नहीं नशे के आदी लोग और ज्यादा भी कीमत में इसकी खरीद करते हैं।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/excise-and-drug-department-team-recovered-245-boxes-of-tincture-from-medical-store-in-agra?pageId=2